न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 100/2010/225 आरटीए

1. दलीप पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी चक 25 आरडीडी तहसील रातवसर।
2. मोमनराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी चक 25 आरडीडी तहसील रातवसर।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी 25 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
2. कृष्णलाल पुत्र सुरजाराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी 25 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
3. मंगतुराम पुत्र सुरजाराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी 25 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।

–––रेस्पोडेंटस

4. सोहनलाल पुत्र सुरजाराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी 25 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
5. रेशमी पत्नि सुरजाराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी 25 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
6. विमला पुत्री सुरजाराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
7. रूकमा पुत्री सुरजाराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।

–– तरतीबी रेस्पोडेंट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.07.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर

प्र0सं0 71/2008 अनवानी ओमप्रकाश आदि बनाम सोहनलाल आदि

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 8

निर्णय दिनांक –25.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत करते हुए इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.08 को जारी अन्तरिम आदेश को अपीलाधीन आदेश के जरिये ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड मे यह पूर्णतया साबित था कि सुरजाराम का स्वर्गवास होने के बाद उसके कब्जा काश्त की भूमि मे अप्रार्थीगण का विरासतन नामान्तरण 1/9 हिस्सा आया व अप्रार्थीगण सं. 4 ता 6 ने अपना हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 व 3/अपीलांट के पक्ष मे त्याग कर दिया जो अपनी स्वेच्छा से किया है तथा अपने को विरासतन मे प्राप्त हुई भूमि का हक सहकाश्तकार के पक्ष मे त्याग किया जा सकता है तथा नामान्तरण सं. 137 दिनांक 26.06.2008 से उक्त तथ्य भलीभांति पूर्णतया साबित था तथा अपीलांट के नाम 5/9 हिस्सा सही एवं विधि अनुसार दर्ज थे, परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज करके प्रार्थना पत्र का वाद की मेरिट को तय करते हुये निर्णय पारित कर दिया जो विधि की भंयकर अवहेलना मे पारित किया है। रेस्पो0 किसी भी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही थे। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनो बिन्दू अपीलांट के पक्ष मे थे परन्तु विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के विरूद्ध पंचायती फैसला को आधार मानकर तथा समस्त वाद भूमि पर बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के रेस्पो0 का कब्जा मानकर रेस्पो0 के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा गैर कानूनी तौर से जारी की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तोवजी साक्ष्य का अवलोकन किये मात्र पंचायती फैसला के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पो0 सं. 1 ता 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत इसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मे यह उल्लेखित करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया कि '' विवादित भूमि जमाबंदी 24 आरडब्ल्यूडी सुरजाराम की खातेदारी भूमि है व पंचायती फैसला संलग्न है। सूरजाराम का स्वर्गवास होना भी साबित है तथा अप्रार्थी सं. 4 ता 6 द्वारा अपनी हिस्सा की भूमि का त्याग अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष मे किया गया है जबकि विधि अनुसार कोई भी वारिस अपने हिस्सा का परित्याग तो कर सकता है परन्तु वह समस्त वारिसान के पक्ष मे किया जावेगा न की किसी एक के पक्ष मे। यहां यह बिन्दू तो दावे मे ही तय किये जा सकेगें। अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारित बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे है। दौराने दावा विवादित भूमि की वर्तमान स्थिति बनाई रखी जानी आवश्यक है ताकि किसी प्रकार का अन्य कोई विवाद ना हो। जहां तक अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है तो दोनो ही पक्षो को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से कोई क्षति नही होती है तथा भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जाने से पक्षकारो मे और विवाद पैदा नही होगें।'' चूंकि वादग्रस्त भूमि सुरजाराम के नाम दर्ज है तथा रेस्पो0 सं. 5 ता 7 ने अपने हिस्सा का परित्याग अपीलांट के पक्ष मे किया गया है। वादग्रस्त भूमि पैतृक /सहदायिक भूमि है जिसमे अपीलांट के साथ साथ रेस्पो0 सं. 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा निहित है। जो मूल वाद मे दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर तय होना है। उक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रकट नही होती है। ऐसी स्थिति मे अपील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

5. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2010 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official